<u>न्यायालयः—दशरथसिंह भिड़े, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय पाटन, जिला—जबलपुर (म0प्र0)</u>

(निर्णय दिनांक 19 फरवरी, 2024)

आपराधिक प्रकरण क्रमांकः—1077 / 2023
फायलिंग संख्याः—2203 / 2023
सी.एन.आर. नं. एम.पी.2006—002620—2023
संस्थित दिनांकः—03 / 08 / 2023

(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री बी0डी0 पटैल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी.
अभियुक्त	नीतेश कोल, उम्र 20 वर्ष, पिता नरेन्द्र कोल, निवासी—गांधी व्यायाम शाला के पास रांझी, जिला—जबलपुर (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजीव पाण्डेय, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	06.06.2023
प्र.सू.रि. की तिथि	08.06.2023
आरोप पत्र की तिथि	03.08.2023
आरोपों के विरचना की तिथि	04.09.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	20.11.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	19.02.2024
निर्णय की तिथि	19.02.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	नीतेश कोल	निरंक	03.08. 2023	धारा 279 भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	राकेश प्रजापति	आहत/चक्षुदर्शी
अ.सा.–2	मूलचंद	आहत/चक्षुदर्शी

ख. प्रतिरक्षा साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजनः–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.–1/अ.सा.–1	साक्षी राकेश प्रजापति का पुलिस कथन।
2.	प्रदर्श पी.–2/अ.सा.–2	साक्षी मूलचंद का पुलिस कथन।

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

पुलिस थाना पाटन, तहसील–पाटन, जिला–जबलपुर के अपराध कमांक 345/2023 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 1860 से उद्भूत प्रकरण।

– : : नि र्ण य : : –

1. अभियुक्त पर धारा 279 भा0दं0सं0 के तहत अपराध विवरण है कि उसने दिनांक 06.06.2023 को समय लगभग 22:00 बजे स्थान कन्तोरा मोड़ के पास ग्राम नुनसर में वाहन कमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन कारित किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामप्रसाद प्रजापति ने आरक्षी केन्द्र पाटन में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराया कि दिनांक 06.06.2023 को वह और उसके जीजा सतीश प्रजापति एक

मोटर सायकिल से तथा दूसरी मोटर सायकिल में उसका छोटा भाई मूलचंद प्रजापति और उसका जीजा राकेश प्रजापति मनकेड़ी, पाटन बारात में गये थे। वहां से रात में वापस अपने घर लौट रहे थे। राकेश अपनी मो0सा0 प्लेटिना क्रमांक एम0पी0 20 एम0डी0 1860 से आगे चल रहा था तथा वह थोड़ी दूर पीछे चल रहा था और जैसे ही रात करीब 10.00 बजे ग्राम नुनसर, कंतोरा मोड़ के पास पहुंचे, तभी पीछे से एक कार क्रमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक कार चलाकर लाया और राकेश की मोटर सायकिल में टक्कर मार दिया, जिससे दोनों मोटर सायकिल सहित गिर गये और गिरने से राकेश को दाहिने हाथ–पैर तथा मूलचंद को दाहिने पैर एवं सीने में चोटें आयी। टक्कर लगने वाली कार का चालक टक्कर मारकर वहां से भाग गया। उसने पीछे से कार का नंबर देखकर नोट कर लिया था, फिर 108 ऐंबुलेंस से राकेश और मूलचंद को स्वास्तिक अस्पताल ले जाकर इलाज हेतु भर्ती कराया। घटना को उसने तथा उसका जीजा सतीश प्रजापति ने देखा है। इलाज कराने में व्यस्त होने के कारण वह दिनांक 08. 06.2023 को रिपोर्ट करने आया है।

3. उक्त रिपोर्ट पर थाना पाटन द्वारा वाहन कार क्रमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 345/ 2023 धारा 279, 337 भा0दं0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा पंचनामा बनाया गया तथा साक्षी/आहत राकेश प्रजापति, मूलचंद प्रजापति, सतीश प्रजापति, रामप्रसाद एवं नंजूलाल सोनी के कथन लेखबद्ध किये गये। वाहन स्वामी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का सूचना पत्र दिये जाने वाहन स्वामी द्वारा घटना दिनांक को उक्त वाहन उसके ड्रायवर नीतेश कोल द्वारा चलाया जाना बताया गया। अभियुक्त नीतेश कोल द्वारा वाहन कार क्रमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 एवं दस्तावेज पेश करने पर जप्ती की कार्यवाही की गई तथा अभियुक्त को धारा 41–क दं0प्र0सं0 का सूचना पत्र देकर छोड़ा गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आहत राकेश को अस्थिभंग

होने से प्रकरण में धारा 338 भा0दं0सं0 की बढ़ाई जाकर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

4. प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आहत राकेश प्रजापति, मूलचंद एवं अभियुक्त के मध्य हुए राजीनामा के परिणाम स्वरूप अभियुक्त को शमनीय अपराध धारा 337, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। यह निर्णय मात्र अशमनीय आरोप अंतर्गत धारा 279 भा0दं0सं0 के संबंध मे घोषित किया जा रहा है।

5. अभियुक्त पर अपराध विवरण विरचित कर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाने एवं समझाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा तथा अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं होने से धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया है।

6. **<u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न है</u>:–**

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 06.06.2023 को समय लगभग 22:00 बजे स्थान कन्तोरा मोड़ के पास ग्राम नुनसर में वाहन क्रमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन कारित किया ?

–: : <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> : :–

7. साक्षी/आहत राकेश प्रजापति (अ0सा0–1) एवं मूलचंद (अ0सा0–2) ने अपने न्यायालयीन कथन के मुख्य परीक्षण में बताया है कि वे अभियुक्त को जानते हैं। घटना 7–8 माह पूर्व ग्राम नुनसर कन्तोरा मोड़ के पास की रात के लगभग 10 बजे की है। वे मोटर सायकिल से मनकेड़ी, पाटन बारात से अपने घर लौट रहे थे, तभी कन्तोरा मोड़ के पास एक चार पहिया वाहन ने उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे राकेश को दाहिने पैर एवं मूलचंद को दाहिने पैर व सीने

में चोट आयी थी। पीछे आ रहे सतीश एवं रामप्रसाद ने उन लोगों को 108 ऐंबुलेंस से स्वास्तिक अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एवं उसके चालक को नहीं देखा था। पुलिस ने उनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये थे। उक्त साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न एवं ऐसे सभी प्रश्न पूछे गये जो प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूछे जा सकते है, किन्तु फिर भी उक्त साक्षियों द्वारा घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है।

8. उपरोक्त साक्षियों के कथनों का विवेचन करने एवं तर्क पर विचार करने से प्रकट है कि साक्षी/आहत राकेश प्रजापति (अ0सा0–1) एवं मूलचंद (अ0सा0–2) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने का कथन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह अस्वीकार किया है कि कार क्रमांक एम0पी0 20 सी0ई0 8735 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोटें आयी थी तथा यह भी अस्वीकार किया है कि सतीश एवं रामप्रसाद ने कार का नंबर देख लिया था। इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथन से वाहन चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करना प्रमाणित नहीं होता है। इस कारण उक्त साक्षियों के कथनों से अभियोजन के मामले को बल प्राप्त नहीं होता है।

9. प्रकरण में आपराधिक मामले को साबित करने का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करें तथा आपराधिक मामले को साबित करने के लिए एक मात्र उपाय अभियोजन के साक्षियों के द्वारा अभियोजन के मामले को प्रमाणित करें, किन्तु इस प्रकरण में उक्त साक्षी/आहतगण के द्वारा अभियुक्त ने कार को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर

घटना कारित करना नहीं बताया है तथा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है तथा यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से इसका एकमात्र निष्कर्ष यही होगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। अतः अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त को निर्णय चरण 01 के आरोप धारा 279 भा0द0सं0 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्त के जमानत बंधपत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संशोधन अधिनियम 2008) (एक्ट क्र.–5/09) की धारा 437 (ए) के प्रावधानों के अधीन दी गई प्रतिभूति व स्वीय बंधपत्र आगामी छः माह के लिये प्रवृत्त रहेंगे। यदि कोई अपील होती है, तो अभियुक्त अपील मामले में स्वयं को उपस्थित रखेगा, तदोपरांत अपील न होने से अभियुक्त के जमानत व बंधपत्र भारमुक्त हो।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया गया है जो अपील अवधि पश्चात् स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

स्थानः– पाटन जिला–जबलपुर मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
दिनांकः– **19.02.2024**

(दशरथसिंह भिड़े)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पाटन जिला–जबलपुर म.प्र.

DASHRATHSINGH BHIDE

Digitally signed by DASHRATHSINGH BHIDE
Date: 2024.02.19 17:34:54 +0530